**न्यायालय– जिलाधिकारी, सहरसा।**

गृह नियंत्रण अपील वाद– **01/2017**

बबीता कुमारी बनाम रतन लाल केडिया

## –:: आदेश ::–

प्रस्तुत वाद अपीलार्थी बबीता कुमारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सोनवर्षा राज के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, सहरसा के किराया निर्धारण वाद संख्या 05/2016 में पारित आदेश दिनांक 08.03.2017 के विरूद्ध दाखिल किया गया है।

सरकारी अधिवक्ता को सुना। अनुमंडल पदाधिकारी के आदेश का अवलोकन किया। उनके द्वारा सिर्फ अंचलाधिकारी के पॉच प्रतिवेदन के आधार पर किराया निर्धारण कर दिया गया है। उसके व आवेदक का पक्ष लिया गया न ही कोई तुलनात्मक तथ्य प्रस्तुत किया गया। अतः प्रथम दृष्ट्या अनुमंडल पदाधिकारी का आदेश में त्रुटि परिलक्षित होती है।

अनुमंडल पदाधिकारी को वाद रिमाण्ड करते हुए निदेश दिया जाता है कि पुनः तथ्यपरक प्रतिवेदन प्राप्त कर आवेदिका के पक्ष को सुनकर विधि सम्मत रूप से किराये का निर्धारण करें।

लेखापित एवं शुद्धिकृत।

19.7.17

जिला पदाधिकारी,
सहरसा।

19.7.17

जिला पदाधिकारी
सहरसा।

ज्ञापांक 1113-2/ विधि, सहरसा, दिनांक– 27.07.2017.

प्रतिलिपि– जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आई०सी० डी०एस०, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, सहरसा।
27.07.017